Provisional NOC

NOC Go Back (http://upfireservice.gov.in/upfire/officer/dd/viewfinalnoc/20191428070200)
Application has been approved successfully !!!

Print

प्रारूप-घ (संलग्रक-3)

Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/5073/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/2047/DD
दिनांक:28-03-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RG RESIDENCY P LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GH-2,SECTOR-120,NOIDA,SECTOR-120,NOIDA** तहसील - **DADRI** जिसमें तलों की संख्या **26** एवं बेसमेन्ट की संख्या **2** है जिसकी ऊँचाई **94.100 mt.** तथा प्लाट एरिया **51067 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RG RESIDENCY P LTD** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन मे सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक: 06-04-2019
स्थान: GAUTAM BUDDH NAGAR

हस्ताक्षर-

AMAN SHARMA
5B1E2B5C6CEA69D9C4C6C69182A5333F95081957
06-04-2019

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांक:2019/5073/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2047/डी0डी0 दिनांक: अप्रैल 11, 2019.

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स आर0जी0 रेजीडेन्सी प्रा0लि0,
प्लाट नं0 जी0एच0–02, सेक्टर–120 नौएडा,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मैसर्स आर0जी0 रेजीडेन्सी प्रा0लि0, पता प्लाट नं0 जी0एच0–02, सेक्टर–120 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग आवासीय भवन के तलों में संशोधन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2019/5073/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2047/डी0डी0 दिनांक: 28–03–2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक:–09–04–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यूआईडी:2019/5037/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2047/डी0डी0 दिनांक:–06–04–2019 के माध्यम से भवन को ऑन लाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में भवन के प्रस्तावित तलों की **संख्या–26 अंकित हो गयी है, परन्तु हमारे भवन में प्रस्तावित तलों की सही संख्या–29 है। जिसमें तलों की संख्या–26 के स्थान पर 29 तल किये जाने** का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम मे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि यूआईडी: 2019/5073/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2047/डी0डी0 दिनांक:–06–04–2019 के द्वारा निर्गत ऑन लाइन **प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तलों की संख्या–29 समझी जाये।**

(अमन शर्मा) 11/4/19
उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि:–मुख्य वास्तुविद नियोजक, नौएडा प्राधिकरण सेक्टर–6, जनपद गौतमबुद्धनगर।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No AAI/CHQ/NR/ATM/NOC/2018/248/1329—1332

RG Residnecy Pvt Ltd
1601, RG Trade Tower, Plot No. B-07,
Netaji Subhash Place, Pitampura,
Delhi-110034

Date: 16-08-2018

Valid Upto: 15-08-2026

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	**SAFD/NORTH/B/080918/326258**
Applicant Name*	**Abhishek Gupta**
Site Address*	**GH-02, SECOTR-120, NOIDA, GAUTAMBUDH NAGAR, UTTARPRADESH,Parthala Khanjarpur/ Noida/ G B Nagar,Jewar,Utter Pradesh**
Site Coordinates*	**77 23 45.96-28 35 17.51, 77 23 47.88-28 35 10.83, 77 23 50.79-28 35 16.08, 77 23 53.40-28 35 19.73, 77 23 55.67-28 35 12.66**
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	**202.78 M**
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	**317.78 M**

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site.In case of any discrepancy,Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC

c. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

d. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules 1994

S.K Purwar
एस. के. पुरवार
S. K. Purwar

e. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 317.78 M, as indicated in para 2.

f. Only use of oil fired or electric fired furnace is permissible, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

g. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue.One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced,subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.

h. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

i. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

j. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series B Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

k. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

l. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within their jurisdiction.

m. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

n. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.

S.K. Puwar 16/08/16
एस. के. पुवार
S. K. Puwar

Chairman NOC Committee

Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports Authority of India, Regional Headquarter, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road. New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aai.aero

Contact No: 011-25653551

	Name / Designation / Sign with Date
Prepared By :	
Verified By :	

Distance From Nearest Airport And Bearing

Airport Name	Distance (Meters) from the Nearest Runway	Bearing (Degree)
I.G.I Airport	27867.67	84.37
Jewar	49922.74	334.52
Meerut	44415.4	216.48
Rohini Heliport	37681.18	117.51
Safdarjung Airport	18518.19	87.42

Street view

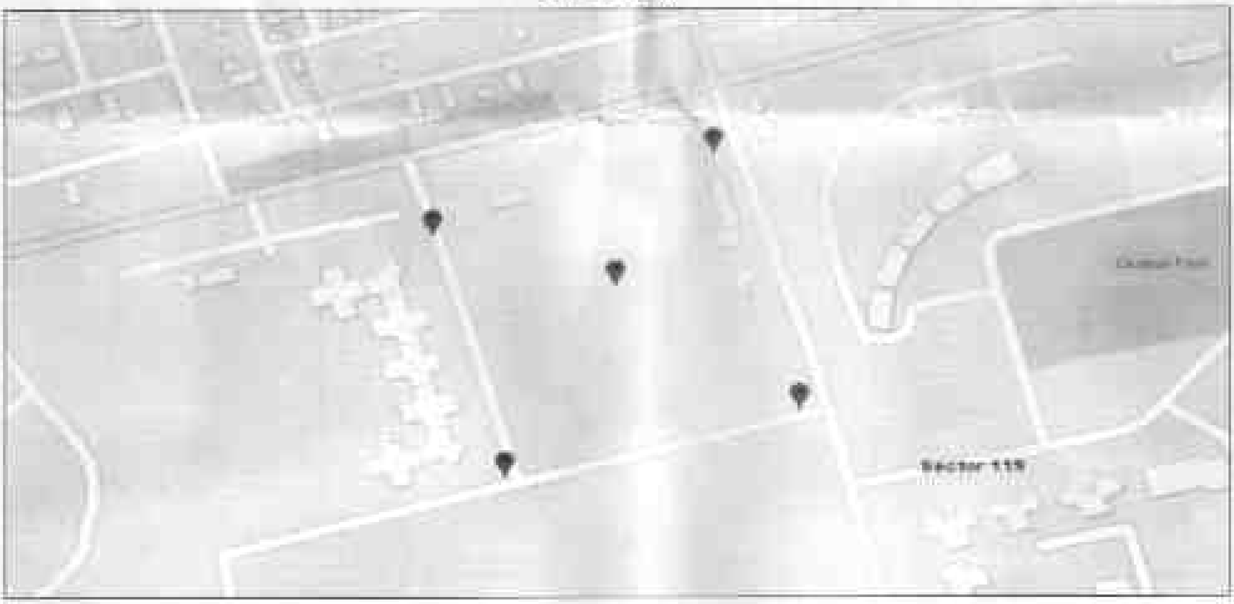

Satellite View

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

File No. AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2018/248/1329-1532. Date: 16.08.2018

Copy to:

1. The Chief Executive Officer, Delhi International Airport, New Udan Bhawan, IGI Airport, Terminal-3, New Delhi-110037.
2. The Chief Architect Planner, 169, Chitvan Estate, Sector-Gamma-II, Greater Noida-201306.
3. Guard File.

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय परियोजना अभियन्ता (जल) III

वाटर वर्क्स कम्पायउड सेक्टर–39 नौएडा

सं0 नोएडौ/प0 अ0(जल) –III/ 2011/ 2123

दिनांक 10 /01 / 11

मैसर्स आर जी रेसीडेन्सी , प्रा0 लि0

जी0 एच0 02, सेक्टर–120, नौएडा

विषयः– भूखण्ड सं0 जी0 एच0 02, सेक्टर–120, नौएडा के सीवेज निष्पादन के संबंध में।

कृप्या अपने पत्र दिनांक 7/1/2011 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उपरोक्त भूखण्ड का सीवेज निष्पादन प्राधिकरण द्वारा डाली गई मुख्य सीवर लाइन में किया जायगा। इन सीवर लाईनों के सीवेज को प्राधिकरण द्वारा एस0 टी0 पी0 के माध्यम से शोधित किया जायगा

10.1.11.

परियोजना अभियंता (जल) –III

सेक्टर – 39, नौएडा।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र पांच वर्ष हेतु ही मान्य है।

संदर्भ संख्या F 88400 सी-१/एन/एन.ओ.सी./८०७/२०११/J— दिनांक 01-7-11

सेवा में,

मे0

आर. जी. रेजीडेन्सी प्रा. लि.,
प्लाट संख्या-जी.एच.-०२, सेक्टर-१२०,
नोएडा, गौतमबुद्धनगर

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/~~कार्यरत इकाई की उत्पादन~~ क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक.. का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : प्लाट संख्या-जीएच-०२, सेक्टर-१२०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

(ख) उत्पादन : आवासीय परियोजना का निर्माण

(ग) मुख्य कच्चे माल :

बिल्डिंग मैटेरियल

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :

शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईधन :

५०० केवीए का १ एवं ७५० केवीए का ०३ डीजीसेट

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक .... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७– मै० आर० जी० रेजीडेन्सी प्रा० लि०, भूखण्ड सख्या–जी०एच०–०२, सेक्टर–१२०, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तावित स्थल पर कुल क्षेत्रफल १२.६ एकड एवं कुल बिल्टअप एरिया १५६३६१.६७ वर्गमीटर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जायें।

८– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार ५६६ केएलडी उत्प्रवाह हेतु २०० केएलडी क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जायें एवं तीन माह में एस०टी०पी० के डिजाइन डिटेल प्रेषित करें।

९– शेष अशुद्धिकृत सीवेज का निस्तारण सीवर लाइन में किया जायें, जिसका शोधन नोएडा प्राधिकरण के एसटीपी के माध्यम से किया जायें।

१०– नोएडा प्राधिकरण द्वारा एसटीपी की स्थापना एवं संस्था द्वारा स्वयं एसटीपी की स्थापना पूर्ण होने के उपरान्त ही आवासीय फलेट का कब्जा दिया जायें।

११– संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी०सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१२– संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्राविधानों के अनुसार किया जायें एवं वर्मीकल्चर परिसर के अन्दर ही किया जायें।

१३– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

१४– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१५– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१६– संस्था द्वारा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।

१७– संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,१९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्गत किया जा रहा है।

१८– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पंत्रांक– एफ८५७६१/सी–१/एन०ओ०सी०–८०७/०३/२०११, दिनांक १३.५.११ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

१९– इस अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम तक जो पूर्व हो तक मान्य होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक .... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :..
गौतमबुद्धनगर

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :..
नोएडा

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– १)